(142)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर,

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा.सं./2017/2253

निगरानी प्रकरण क्रं :— /17

प्रस्तुत दिनांक :—

1. छगनलाल पिता मदनलाल चौकसे,
2. दिनेश पिता मदनलाल चौकसे,
3. दिलीप पिता मदनलाल चौकसे,
4. सुरेश पिता मदनलाल चौकसे

सभी निवासी दौलतपुरा, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. किशोर पिता रोहिदास निवासी ग्राम डोंगरगांव, तहसील व जिला बुरहानपुर

—— अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदकगण निवेदन करते है :—

1. यह कि आवेदकगण पुनःरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील व जिला बुरहानपुर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रं. 2—अ / 13 सन् 2015—16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22.06.2017 से दुःखित एवं पीडित होकर निम्नलिखित आधारों पर याचिका प्रस्तुत करते है :—

प्रकरण के तथ्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बुरहानपुर/भूरा/2017/2253

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	आवेदक की ओर से श्री लखनसिंह धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूपअब नवीन संशोधित संहिताकी धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । आवेदकपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	